Adl से परपोर्ट आकर पत्रावली दिनांक 20/11/23 को पेश हो।

20/01/23 — पत्रावली पेश हुई। वकील वादी के एक-एक कर-बार-बार आवाज दिलवाई गई। अदालत समय तक वादी वकील न ही वादी स्वयं उपस्थित हुए। पत्रावली अदम: हानरी-अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा